05/4/21 आज पत्रावली पेश हुई वकील वादी उप० आये/

वकील वादी की बहस अन्तिम सुनी गई/ वादी के वकील का कहना:

रहा कि आराजी नं० 328/0.43, 329/0.43, 330/0.44, 331/0.34,

332/0.47 हैक्टर का 3/64 भाग वाके ग्राम [illegible] तहसील [illegible]

[illegible] वादी (प्रतिवादी) नं० 1 ता० 10 का हक पिता/

में निश्चित होकर वादी [illegible] नं० [illegible]

द्वारा एवं नन्दूलाल की विरासत में प्राप्त हुई थी जमाबन्दी सं० 2027

में वादी का नाम प्रतिवादीगण के साथ दर्ज है तथा इसके बाद सम्वत्

2031 में वादी का नाम प्रतिवादीगण के साथ दर्ज नहीं किया गया

जबकि आराजी में वादी व प्रतिवादीगण का नाम बराबर भाग में

दर्ज होना चाहिए था/ उक्त विवादित आराजी के [illegible]

1/2 भाग का खातेदार काश्तकार थो जो लावल्द बिला औलाद फौत हो गया

एवं जिसके कानूनी वारिसान वादी व प्रतिवादीगण थे जिसके नाम

विरासत इन्तकाल नं० 606 दिनांक 13/6/90 को स्वीकार हो गया

परन्तु जमाबन्दी में इन्तकाल का अमल करते समय वादी का

नाम किसी सहवन से रह गया जो गलत अंकन आज तक लगातार

चला आ रहा है। प्रतिवादी नं० 5 ता० 10 के पति [illegible]

पर विरासत इन्तकाल नं० 942 के जरिए के वारिसान के नाम

दर्ज हो गया व सर्वे में चल रहा हिस्सा 3/64 विभाजित होकर

हिस्सा रामचन्द्र के वारिसान के हिस्से 3/20 भाग [illegible]

प्रतिवादीगण के नाम 3/80 हिस्सा दर्ज होगया जबकि प्रत्येक

पक्षकारान के हिस्से 3/384 यानि 1/128 होना चाहिए [illegible]

करते हुए वादवादी [illegible] डिक्री किये [illegible]

रहा/ प्रकाबादर्ज रजिस्टर किया जाकर [illegible]

प्रतिवादी नं० 1 की [illegible] में एक पक्षीय कार्यवाही

[illegible] नं० 2 ता० 10 की ओर

[illegible] एवं प्रतिवादी नं० 2 ता० 10 की ओर

[illegible] जवाब पेश किया गया/

[illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Singh Rajawat
Date: 2021.06.24 10:38:24
Reason: SelfAttested

मुताबिक इकबाल जवाब वादी के वाद के कथनों को स्वीकार करते हुए वादी के वाद को डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादीगण को कोई एतराज नहीं होगा। वादी ने अपने वाद पत्र की ताईद में लिखित साक्ष्य स्वरूप नकल जमाबन्दी सं० 2027 प्रदर्श-1, नकल खसरा इन्तकाल नं० 606 प्रदर्श-2, नकल जमाबन्दी सं० 2043 प्रदर्श-3, नकल जमाबन्दी सं० 2047 प्रदर्श-4 एवं नकल जमाबन्दी सं० 2071 किता 5 प्रदर्श-5 पेश की एवं मौखिक साक्ष्य स्वरूप शपथ-पत्र कनवारी PW-1, रामसिंह PW-2, मुकेशसिंह PW-3 पेश किये जो शामिल पत्रावली है। वकील वादी की बहस अन्तिम सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने वादी के वादपत्र के कथनों को दोहराते हुए प्रस्तुत दस्तावेजात प्रदर्श-1 लगायत 5 एवं मौखिक साक्ष्य शपथ-पत्र PW-1 लगायत PW-3 द्वारा वादी के वाद को पूर्ण रूपेण साबित किया जाना अंकित करते हुए वादी के वाद को डिक्री किये जाने का निवेदन किया। वकील वादी की ध्यानपूर्वक बहस सुनी गई एवं पत्रावली व पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजात के अवलोकन उपरान्त उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादी द्वारा अपने वाद को प्रस्तुत दस्तावेजात से साबित कर दिये जाने के आधार पर वादी के वाद को यह न्यायालय स्वीकार योग्य पाता है।

आदेश

अतः उपरोक्तानुसार वादी द्वारा अपने वाद पत्र के कथनों को दस्तावेजात से साबित कर दिये जाने के आधार पर स्वीकार योग्य पाये जाने की स्थिति में आराजी ख० नं० 328/0.43, 329/0.43, 330/0.44, 331/0.34, 332/0.?? कुल किता 5 रकबा 2.11 हैक्टेयर का 3/64 भाग वाके ग्राम कावंद तहसील मुण्डावर जिला अलवर (राज०) के बाबत प्रतिवादी सं० 1 लगा० 10 के नाम हो रहे हाल इन्द्राज रिकार्ड में

Signature N
Digitally signe
Rajawat
Date: 2021.06
Reason: SelfA

क्रम	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर हुक्म
	इंतकाल के तहत वादी की हक त्याग नाम इन्दराज किये जाने के आदेश दिये जाते हैं एवं उपरोक्तानुसार विवादित आराजीयात के 3/64 भाग में वादी का नाम दर्ज करने एवं वादी को 1/128 भाग का तथा प्रतिवादी सं० 1 लगायत 4 को 1/32 भाग के एवं प्रतिवादी सं० 5 लगा० 10 को 1/128 भाग के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते हैं। इसी अनुसार हाल राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद किया जावे। तदानुसार पत्र डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम हो। बाद तकमील जमा जिला रिकार्ड हो। सुनाया गया। आशीर्षक निर्णय को [illegible]। (हस्ताक्षर) उपखण्डाधिकारी मुण्डावर (अलवर) राज०	

Signature Not Verified

Digitally signed by Ram Singh Rajawat
Date: 2021.06.24 10:38:24 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर, मुण्डावर जिला अलवर

पीठासीन अधिकारीः— रामसिंह राजावत, आर.ए.एस.

दावा सं.— 198/2016 दायरा दिनांक :—09.08.2019 निर्णय दिनांक :— 05.04.2021

1. बनवारी पुत्र नन्दलाल जाति अहीर निवासी बावद शक्तपुरा तहसील मुण्डावर जिला अलवर राजस्थान।

..........वादी

बनाम

1. सूरजभान
2. हरिसिंह
3. लालसिंह
4. सुबेसिंह पुत्रान नन्लाल
5. मूर्ती बेवा रामचन्द्र
6. रामौतार पत्रु रामचन्द्र
7. जसवन्त पुत्र रामचन्द्र
8. रामदुलारी पुत्री रामचन्द्र
9. भागवती पुत्री रामचन्द्र
10. पूनम पुत्री रामचन्द्र जातियान अहीरान निवासी बावद शक्तपुरा तहसील मुण्डावर जिला अलवर राज0।
11. लैण्ड हौल्डर जर्ये तहसीलदार महोदय, मुण्डावर, जिला अलवर, राजस्थान।

..........प्रतिवादीगण

दावा ईश्तकरारहक दुरूस्ती इन्द्राज अंतर्गत धारा 88, 89, 188
राज. काश्तकारी अधिनियम 1955

—: पर्चा डिक्री :—

वादी की ओर से **श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव एडवोकट** की उपस्थिति एवं प्रतिवादीगण की ओर से **श्री अनिल यादव एडवोकट** उपस्थिति में इस वाद में **आज दिनांक 05.04.2021** को **श्री रामसिह राजावत, उपखण्ड अधिकारी मुण्डावर** के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश किया जाता है **और डिक्री दी जाती हैः—**

वादी द्वारा अपने वाद पत्र को सुसंगत दस्तावेजात से साबित कर दिये जाने के आधार पर स्वीकार योग्य पाये जाने की स्थिति में आराजी खसरा नम्बर 328/0.43, 329/0.43, 330/0.44, 311/0.34, 332/0.47 है0 कुल किता 5 रकबा 2.11 है0 का 3/64 भाग वाके ग्राम बावद तहसील मुण्डावर जिला अलवर राज0 के बाबत प्रतिवादी सं0 1 लगा 10 के नाम हो रहे हाल राजस्व रिकार्ड में [illegible] हजफ किये जाने के आदेश दिये जाते है एवं उपरोक्तानुसार विवादित आरा[illegible]/64 भाग में वादी का नाम दर्ज करने एवं वादी को 1/128 भाग [illegible] 4 को 1/32 भाग के एवं प्रतिवादी सं0 5 लगा0 10 को 1/128 भाग के खातेदार [illegible] घोषित किये जाते है इसी अनुसार हाल राजस्व रिकार्ड में अमल [illegible]

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 05.04.2021 [illegible] द्वारा लिखायी जाकर बाद हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Singh Rajawat
Date: 2021.06.24 10:38:24 IST
Reason: SelfAttested

(रामसिंह राजावत)
उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर जिला अलवर राज0

उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (अलवर)